न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./06/2019/जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. उम्मेदसिंह पुत्र गिरधारी राम जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी चैनपुरा भणियाणा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान	बनाम	1.सिमरथाराम पुत्र हरदान राम जाति जाट निवासी चैनपुरा भणियाणा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान। 2.तहसीलदार भणियाणा तहसील भणियाणा(पोकरण) जिला जैसलमेर।

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री सी.आर.चौधरी प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 21.08.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट प्रार्थी अपीलांट गांव भणियाणा का मूल निवासी है तथा काश्तकारी एवं मवेशी पालन का कार्य करताा है रेस्पोडेंट सिमरथा राम द्वारा दिनांक 12.11.1973 को ग्राम भणियाणा के खसरा संख्या 1045 में 200 बीघा जमीन बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अपने हक में अधीनस्थ न्यायालय से बाला–बाला रूप से निर्णय पारित करवा लिया। चुंकि उक्त रकबा आज तक सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग हेतु बदस्तुर चलता आ रहा था एवं उक्त रकबे पर किसी का भी कब्जा काश्त जुलाई 2018 से पूर्व नहीं था। अपीलांट भणियाणा ग्राम का संभ्रात नागरिक एवं किसान होने से सार्वजनिक एवं राजहित में अपीलांट ने यह अपील मान्य न्यायालय में पेश की है। सरकार व जनहित का नुकसान होने से अपीलांट/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णया/आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट गांव चैनपुरा, भणियाणा का निवासी एवं रेस्पोडेंट का पड़ोसी मात्र है। वह वादग्रस्त भूमि का सार्वजनिक उपयोग होने का कथन करता है। इसका तात्पर्य है कि वह वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार रूप में हक दर्शाता है और न ही इसका कोई सीधा संबंध ही प्रकट करता है। रेस्पोडेंट को यह भूमि सन् 1973 में दावे में डिक्री होकर खातेदारी में मिली है। जिसमें अपीलांट का कोई प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, नही वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार ही है।उसका आवेदन सारहीन होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
([illegible] बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner